न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 101/2017 **दायरा दिनांक : 06.07.2017**

उनवान

1— ओगडिया 60 वर्ष पुत्र प्रताप, जाति राठी, निवासी भटवाडा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— गोपाल 57 वर्ष पुत्र प्रताप, जाति राठी, निवासी भटवाडा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1— बद्रीलाल 55 वर्ष पुत्र कल्याण, जाति राठी, निवासी भटवाडा, तहसील मांगरोल, हाल निवासी पाड़लिया, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2— भंवर लाल 70 वर्ष पुत्र कल्याण, जाति राठी, निवासी भटवाडा, त हसील मांगरोल, जिला बारां

3— लटूरी बाई उम्र 45 वर्ष पत्नी हीरा लाल, जाति राठी, निवासी भटवाडा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

4— मांगीबाई पुत्री नारायण, जाति राठी, निवासी भटवाडा, तहसील मांगरोल, हाल निवासी देवलीमांझी, तहसील कनवास, जिला कोटा

5— हल्दीबाई उम्र 21 वर्ष पुत्री हीरालाल, जाति राठी, निवासी भटवाडा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

6— पूजा बाई उम्र 18 वर्ष पुत्री हीरालाल, जाति राठी, निवासी भटवाडा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

7— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री कमलदीप सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बी एल जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 04.07.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या — 16/2015 निर्णय दिनांक 25.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंटगण ने अपीलांटगण के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92ए, 188, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम भटवाडा, तहसील मांगरोल के माल में खाता संख्या 123 नयी 108 पुराना की कुल 14 किता की 16.34 हेक्टर आराजी प्रतिवादी नम्बर 1, प्रतिवादी नम्बर 2 और अन्य के नाम दर्ज है ।जमाबंदी सम्वत 2005—07 में यह भूमि किशन पुत्र जगन्नाथ, प्रताप, मोत्या पिसरान मेदा के नाम दर्ज है । जमाबंदी सम्वत 2014 — 2023 में खाता संख्या 209 में किशन वल्द जगन्नाथ 1/3, प्रताप, मोत्या पिसरान मेदा 2/3 दर्ज थी । आराजी खसरा नम्बर 183 रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 195 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 197 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 198 रकबा 8 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 274 रकबा 8 बीघा 8

बिस्वा, खसरा नम्बर 383 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 523 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 1174 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 1175 रकबा 18 बीघा 6 बिस्रूवा, खसरा नम्बर 1176 रकबा 22 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 1177 रकबा 22 बीघा 6 बिस्वा कुल 11 किता की 123 बीघा थी । सैटलमेंट के उपरान्त इसके नये खसरा नम्बर 938 रकबा 2.25 हेक्टर, खसरा नम्बर 940 रकबा 1.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 1008/1637 रकबा 0.75 हेक्टर, खसरा नम्बर 1009 रकबा 1.42 हेक्टर, खसरा नम्बर 1035/1619 रकबा 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 1037 रकबा 3.77 हेक्टर, खसरा नम्बर 1181 रकबा 0.13 हेक्टर, खसरा नम्बर 1497 रकबा 1.84 हेक्टर, खसरा नम्बर 1500 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नम्बर 1502 रकबा 0.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 1504 रकबा 1.88 हेक्टर, खसरा नम्बर 1517 रकबा 1.23 हेक्टर, खसरा नम्बर 1518 रकबा 1.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 1519 रकबा 0.08 हेक्टर कायम किये गये हैं । आराजियात सम्वत 2018 के बाद श्रीकिशन वल्द जगन्नाथ 1/2, प्रताप, मोत्या पिसरान मेदा हिस्सा 2/3 मोत्या की मृत्यु के उपरान्त हिस्सा 1/3 हिस्सा नेनगी बेवा मोत्या, नारायणी पुत्री मोत्या के नाम दर्ज होनी चाहिए क्योंकि मोत्या के कोई जाइन्दा पुत्र नहीं था उनकी वारिसान मोत्या की मृत्यु के उपरान्त नेनगी व नारायणी का नाम ही था लेकिन अप्रार्थी नम्बर 1 ओगडिया जो कि प्रताप का पुत्र था फर्जी गोद पुत्र बनकर राजस्व कर्मचारियों से सांठ गांठ कर जमाबंदी सम्वत 2022–25 में मोत्या की मृत्यु के उपरान्त नैनगी बेवा मोत्या और ओगडिया पुत्र मोत्या दर्ज करवा लिया । फिर नेनगी की मृत्यु के बाद सम्पूर्ण आरी पर मोत्या के वारिस के रूप में अप्रार्थी नम्बर 1 ने अपना नाम दर्ज करवा लिया । ओगडिया प्रताप का पुत्र है और प्रताप पुत्र मेदा राठी का जमाबंदी में 1/3 हिस्सा है । मोत्या के हिस्से की आराजी में किसी प्रकार का कोई अधिकार ओगडिया को नहीं है । इंतकाल नम्बर 178 गैर कानूनी रूप से गोद पुत्र की हैसियत से खुलवाया है वह गलत है और असत्य है क्योंकि नेनगी और मोत्या ने कभी भी ओगडिया को दत्तक पुत्र नहीं

रखा था । प्रार्थीगण मोत्या की मृत्यु के उपरान्त एक मात्र वारिस होने के कारण ओगडिया का नाम हटवा कर अपना नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं । खाते में नाम दर्ज होने के कारण ओगडिया वादग्रस्त आराजी को रहन बेचान अन्यथा खुर्द–बुर्द कर सकते हैं । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबनद किया जाये कि वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से तक न तो जबरन काश्त करें और न ही प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करें और आराजी को रहन बेचान या अन्यथा मुन्तकिल न करें । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 25.07.2015 को लोक अदालत में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि पत्रावली जवाब प्रार्थना पत्र में लम्बित थी । जवाब प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थीगण को देकर रसीद दे दी गई थी लेकिन पीठासीन अधिकार न होने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं हो सका और आगामी पेशी न्यायालय आपके द्वार में अपीलांट का जवाब बन्द करके एक तरफा निर्णय पारित किया है । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ था । अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया गया है । अपीलांट वादग्रस्त आराजी परा 50 वर्षों से काबिज काश्त है । इंतकाल नम्बर 178 को आज तक चुनौती नहीं दी गई है । अपीलांट खातेदार कृषक है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंटगण ने इंतकाल की अपील नहीं की है । अपीलांट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक है और काबिज काश्त है । अपीलांट को जवाबदेही का अवसर नहीं दिया है । जवाब बन्द करके केम्प में निर्णय पारित किया गया है । रेस्पोडेंट न तो खातेदार कृषक है और न खातेदारी है । 1/3 हिस्सा कौनसा होगा । यह स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने सी पी सी के प्रावधानों की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खाते की है और रेस्पोडेंट प्रार्थीगण मोत्या के वारिस हैं इस नाते वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर फोटो प्रति नकल जमाबंदी सम्वत 2004–07 सलंग्न है इसके साथ ही नकल जमाबंदी सम्वत 2014–23 भी सलंग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी में किशन वल्द जगन्नाथ हिस्सा 1/3 प्रताप मोत्या पिसरान मेदा 2/3 दर्ज है । नकल जमाबंदी सम्वत 2030–33 की फोटो प्रति के अनुसार मोत्या के 1/3 हिस्से के नेनगा बेवा मोत्या और ओगडिया वल्द मोत्या हिस्सा 1/2 दर्ज किया गया है । नामान्तरकरण संख्या 178 की फोटो प्रति भी सलंग्न है जिसमें मोत्या की मृत्यु होने के बाद उसकी पत्नी और ओगडिया के नाम इंतकाल खोला गया है । इंतकाल में भतीजे को गोद लेना अंकित किया गया है । नकल जमाबंदी की फोटो प्रति सम्वत 2066–69 के अनुसार मोत्या का 1/3 हिस्सा ओगडिया के खाते में दर्ज किया गया है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में जवाब में लम्बित था और इसको

लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में बद्रीलाल और ओगडिया को उपस्थित होना अंकित किया गया है । समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए हैं और इसी दिन जवाब बन्द किया गया है और निर्णय पारित कर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो इसके अभाव में सी पी सी की पालना करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उभयपक्षीय बहस सुनकर निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य होता है । हम इस प्रकरण में अपीलांट और प्रार्थीगण को न्यायहित में जवाबदेही का अवसर प्रदान किया जाना उचित समझते हैं । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.05.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाबदेही का अवसर प्रदान कर उभयपक्षीय बहस सुनकर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.09.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा